

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/2024 (257) / 24

दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं./2024 अनवान सिद्धार्थ नागोरी पिता जिनेन्द्र नागोरी निवासी ~~आंडलगा~~
रूपपुरा बनाम भैरूलाल पिता मोहन लाल धाकड निवासी रूपपुरा, भोजा पिता बालू धाकड निवासी रूपपुरा, भोपाल पिता मोहनलाल धाकड निवासी रूपपुरा, किशना पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, सुन्दर पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, हरदेव पिता छोगा बैरवा निवासी सालमपुरा, छीतर पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, छोटू पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, दाखी पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, मोहन पिता छोगा निवासी सालमपुरा, रामप्रसाद पिता श्रवण बैरवा निवासी सालमपुरा, लादू पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, लादी पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, श्रवण पिता कालू बैरवा निवासी सालमपुरा, श्री नृसिंग का स्थान, जरिये पुजारी पामानन्द पिता बंशीदास बैरांगी निवासी रूपपुरा, अनोखी पुत्री उरजन चमार निवासी सालमपुरा, गोपाल पिता उरजन चमार निवासी सालमपुरा, प्यारी पत्नी उरजन चमार निवासी सालमपुरा, प्यारी पुत्री हजारी चमार निवासी सालमपुरा, रामेश्वर पिता उरजन चमार निवासी सालमपुरा, लाली पत्नी उरजन चमार निवासी सालमपुरा, शम्भू तिा हजारी चमार निवासी सालमपुरा, सजना पत्नी हजारी चमार निवासी सालमपुरा, हीरा पिता हजारी चमार निवासी सालमपुरा, गोपाल पिता हरलाल गुर्जर निवासी सालमपुरा, चन्दा पिता लादू गुर्जर निवासी सालमपुरा, देव पत्नी लादू गुर्जर निवासी सालमपुरा, नानी पत्नी हरलाल गुर्जर निवासी सालमपुरा, नारायण पिता लादू गुर्जर निवासी सालमपुरा, मंजू देवी पत्नी अमरा बंजारा निवासी सालमपुरा, मन्ना पिता लादू गुर्जर निवासी सालमपुरा, रणजीत पिता हरलाल गुर्जर निवासी सालमपुरा, रामनाथ पिता लादू गुर्जर निवासी सालमपुरा, कर्णवीर सिंह पिता बनवीर सिंह निवासी काछोला, रामेश्वर उर्फ रमेश देवा चमार निवासी सालमपुरा, लाली देवी पत्नी तेजू बैरवा निवासी सालमपुरा, कैलाश पिता नारायण कुम्हार निवासी काछोला की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम रूपपुरा प.ह. भगुनगर आराजी सं. 119/2, 227/3 कुल किता 2 रकबा 1.7280 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सिद्धार्थ नागोरी पिता जिनेन्द्र नागोरी निवासी ~~रूपपुरा मांडलगाड~~
बनाम

भैरूलाल पिता मोहन लाल धाकड निवासी रूपपुरा वगैरह

मुकदमा नंबर 297/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम रूपपुरा प.ह. भगुनगर आराजी सं. 119/2, 227/3 कुल किता 2 रकबा 1.7280 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम रूपपुरा प.ह. भगुनगर आराजी सं. 119/2, 227/3 कुल किता 2 रकबा 1.7280 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा